भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2305

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है)

आत्मनिर्भर भारत अभियान

2305. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क): कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है;

(ख): उपरोक्त प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के लिए आवंटित कुल बजट, घोषणा की तिथि और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

(ग): क्या सरकार ने अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा उत्पादन और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्राथमिकता दी है;

(घ): यदि हां, तो संबंधित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ): आत्मनिर्भर भारत पैकेज (2020-25) के अंतर्गत घोषित योजनाओं/पैकेजों की राज्यवार वितरण स्थिति क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(च): क्या अभियान की उपलब्धियों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में कोविड-19 के बाद आर्थिक सुधार में सहायता हेतु क्रमशः दिनांक 13 मई, 2020 से दिनांक 17 मई, 2020, 12 अक्टूबर, 2020 और 12 नवंबर, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1.0, 2.0 और 3.0 की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत योजना-वार और क्षेत्र-वार आवंटन दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। सभी घोषणाओं को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है, सिवाय कुछ घोषणाओं के जो कार्यान्वयनाधीन हैं और एक घोषणा वापस ले ली गई है। ऐसी घोषणाओं के ब्यौरे उनकी वर्तमान स्थिति सहित **अनुलग्नक-II** में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा उत्पादन और डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में स्ट्रेस्ड सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रवर्तकों को बैंकों के माध्यम से

व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से अधीनस्थ ऋण के लिए 20,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएसडी) की घोषणा की। यह योजना दिनांक 31.03.2023 तक चालू थी। इसके अतिरिक्त, आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में, आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड को फंड ऑफ फंड्स के रूप में घोषित किया गया था, ताकि उन एमएसएमई में इक्विटी फंडिंग के रूप में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा सके, जिनमें बढ़ने और बड़ी इकाइयां बनने की क्षमता और व्यवहार्यता है। सीजीएसएसडी और एसआरआई फंड के तहत सहायता प्राप्त एमएसएमई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक III** में दिया गया है।

(च) आत्मनिर्भर भारत अभियान की उपलब्धियों का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 04.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2305 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क. दिनांक 13.05.2020 को की गई घोषणाएँ

1. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा
2. स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये अधीनस्थ ऋण
3. एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये इक्विटी इंफ्युजन
4. एमएसएमई की नई परिभाषा और एमएसएमई के लिए अन्य उपाय
5. 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी निविदाओं हेतु कोई वैश्विक निविदा नहीं।
6. जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए एक और 3 महीने के लिए व्यापार और संगठित श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि सहायता का विस्तार
7. ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी स्थापनाओं के लिए अगले 3 माह हेतु नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ अंशदान 12% से घटाकर 10% किया जाना।
8. एनबीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रु. की विशेष नकदी योजना
9. एनबीएफसी/एमएफआई की देयताओं के लिए 45,000 करोड़ रु. की आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0
10. डिसकॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये लिक्विडिटी इंजेक्शन
11. ईपीसी और रियायत समझौतों के संबंध में संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह महीने तक के विस्तार से संविदाकारों को दी गई राहत
12. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को छह महीने तक बढ़ाया जाएगा।
13. व्यापार के लिए कर में राहत के रूप में लंबित आयकर रिफंड धर्मार्थ ट्रस्टों और गैर-कॉर्पोरेट व्यवसायों और पेशों को तुरंत जारी किया जाना चाहिए
14. वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' और 'टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स' की दरों में 25% की कमी
15. विभिन्न कर संबंधी अनुपालनों के लिए नियत तिथियों को बढ़ाया जाना

ख. दिनांक 14.05.2020 को की गई घोषणाएँ

16. 2 महीने के लिए प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति।
17. मार्च, 2021-वन नेशन वन राशन कार्ड की भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से पीडीएस (राशन) का उपयोग करने के लिए प्रवासियों को सक्षम करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकी प्रणाली
18. प्रवासी श्रमिकों और शहरी निर्धन लोगों के लिए किफायती किराये के आवासीय परिसरों की योजना शुरू की जाएगी
19. शिशु मुद्रा ऋण हेतु 12 महीने के लिए 2% ब्याज सहायता - 1500 करोड़ रुपये की राहत।
20. स्ट्रीट वेंडर के लिए 5000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा।
21. पीएमएवाई (शहरी) के तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवास क्षेत्र और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन।
22. सीएएमपीए निधियों का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन हेतु 6,000 करोड़ रुपये
23. नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी
24. किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये रियायती ऋण प्रोत्साहन

ग. दिनांक 15.05.2020 को की गई घोषणाएँ

25. किसानों के लिए फार्म गेट अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की कृषि अवसंरचना निधि
26. माइक्रो खाद्य उद्यमों को औपचारिक रूप देने हेतु 10,000 करोड़ रुपये की योजना
27. प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये
28. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम
29. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना - 15,000 करोड़ रु
30. हर्बल खेती को बढ़ावा : 4,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
31. मधुमक्खी पालन की पहल - 500 करोड़ रुपये
32. फ्रॉम 'टॉप' टू टोटल- 500 करोड़ रुपए (ऑपरेशन ग्रीन स्कीम फ्रॉम टॉप टू टोटल) अधिसूचित फलों और सब्जियों के दाम ट्रिगर मूल्य से नीचे होने पर इनके परिवहन और भंडारण से संबंधित कार्यकलापों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराता है।
33. कृषि क्षेत्र के लिए शासन और प्रशासनिक सुधारों के लिए उपाय

i. किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन
ii. किसानों को विपणन विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार
iii. कृषि उत्पादन मूल्य और गुणवत्ता आश्वासन

घ. दिनांक 16.05.2020 को की गई घोषणाएँ

34. कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन शुरू किया गया
35. कोयला क्षेत्र में विविधीकृत अवसर
36. कोयला क्षेत्र में उदारवादी व्यवस्था
37. खनिज क्षेत्र में निजी निवेश और नीतिगत सुधार को बढ़ाना
38. रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना
39. रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार
40. नागर विमानन के लिए कुशल एयरस्पेस प्रबंधन
41. पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे
42. विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना
43. विद्युत क्षेत्र में टैरिफ नीति संबंधी सुधार; संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण
44. सामाजिक क्षेत्र में बेहतर व्यवहार्यता अंतराल निधियन योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
45. अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ावा देना
46. परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

ङ. दिनांक 17.05.2020 को की गई घोषणाएँ

47. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एमजीएनआरईजीएस के आबंटन में 40,000 करोड़ रुपये की वृद्धि
48. भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए भारत को तैयार करने हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य और अन्य स्वास्थ्य सुधारों में निवेश में वृद्धि
49. कोविड के पश्चात इक्विटी के साथ प्रौद्योगिकी प्रेरित शिक्षा।
50. आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और वृद्धि
51. कंपनी अधिनियम संबंधी चूक को अपराध मुक्त करना
52. कॉर्पोरेट्स के लिए व्यापार करने में आसानी
53. एक नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति
54. केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार सीमा को 3% से बढ़ाकर केवल 5% करना और राज्य स्तरीय सुधारों को बढ़ावा देना

च. दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 को की गई घोषणाएँ

55. एलटीसी कैश वाउचर योजना- वर्ष 2018-21 के दौरान एक एलटीसी के बदले कर्मचारियों को नकद भुगतान, (छुट्टी नकदीकरण पर पूर्ण भुगतान और एलटीसी किराए का कर-मुक्त भुगतान)

56. विशेष महोत्सव अग्रिम योजना- प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में 10,000 रु. का ब्याज मुक्त अग्रिम, जिसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च किया जाना है।

57. राज्यों के लिए पूंजीगत व्यय संबंधी प्रोत्साहन- ₹12,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए एक विशेष ब्याज मुक्त ऋण

- 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 200 करोड़
- उत्तराखंड, हिमाचल में से प्रत्येक के लिए ₹450 करोड़
- वित्त आयोग के हस्तांतरित अंश के अनुसार शेष राज्यों के लिए 7,500 करोड़ रुपये

58. सड़क, रक्षा, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू स्तर पर उत्पादित पूंजीगत उपकरणों पर पूंजीगत व्यय के लिए केंद्र सरकार के 25,000 करोड़ के (बजट 2020 -21 में दिए गए 4.13 लाख करोड़ के अलावा) अतिरिक्त बजट हेतु पूंजीगत व्यय संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

छ. दिनांक 12 नवंबर 2020 को की गई घोषणाएं

59. आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना - कोविड-19 से उबरने के लिए रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु। यदि ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठान नए कर्मचारियों को या जो पहले नौकरी खो चुके हैं, बिना ईपीएफओ नंबर के लेते हैं तो योजना इन कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।

60. एमएसएमई, व्यवसायों, मुद्रा ऋण प्राप्तकर्ताओं और व्यक्तियों (व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऋण) के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित । कोविड-19 के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र और 26 क्षेत्रों के लिए शुरू की गई क्रेडिट गारंटी सहायता योजना। संस्थाओं को बकाया ऋण का 20% तक अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा; पुनर्भुगतान पाँच वर्षों (1 वर्ष की अधिस्थगन + 4 वर्ष की पुन: अदायगी) में किया जा सकता है।

61. 10 चैंपियन क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन मूल्य की पेशकश की।

62. पीएम आवास योजना - शहरी के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय

63. निर्माण और अवसंरचना के लिए सहायता - सरकारी निविदाओं पर अर्जन जमा राशि और प्रफोर्मेंस सिक्योरिटी में छूट

64. डेवलपर्स और गृह खरीदारों के लिए आयकर राहत

65. इंफ्रा डेट फाइनेंसिंग के लिए प्लेटफार्म

66. कृषि के लिए समर्थन: सब्सिडी वाले उर्वरकों के लिए: 65,000 करोड़

67. ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना: पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जा रहा है। निधि का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के लिए किया जा सकता है, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

68. प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस स्कीम) के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा दिया जाना है। यह एक्जिम बैंक को इन लाइन ऑफ क्रेडिट विकास सहायता गतिविधियों को सुगम बनाने और भारत से निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

69. रक्षा उपकरण, औद्योगिक अवंसरचना और हरित ऊर्जा पर पूंजीगत और औद्योगिक व्यय के लिए पूंजीगत और औद्योगिक प्रोत्साहन। 10,200 करोड़ अतिरिक्त बजट प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

70. कोविड वैक्सीन के लिए आर एंड डी अनुदान; कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों के लिए 900 करोड़ जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदान किया जा रहा है। इसमें वैक्सीन वितरण के लिए वैक्सीन या लॉजिस्टिक्स की लागत शामिल नहीं है (इसके लिए जो भी आवश्यक हो प्रदान किया जाएगा)

अनुलग्नक II

दिनांक 04.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2305 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं या रद्द कर दी गई हैं

क्र. सं.	मंत्रालय/ विभाग	घोषणाएं (कार्रवाई शुरू की गई)	स्थिति
1	नागर विमानन मंत्रालय	पीपीपी के माध्यम से अधिक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे	क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़ान के तहत नागर विमानन क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में देश में 14 हवाई अड्डे सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत प्रचालित किए जा रहे हैं।
2	श्रम और रोजगार मंत्रालय	श्रमिकों के लिए श्रम संहिता के लाभ	मजदूरी संहिता, 2019 - मजदूरी संहिता (केंद्रीय) नियम, 2021 संबंधी मसौदा को हितधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की गई है। मजदूरी संहिता, 2019 के तहत बनाए गए नियमों को मजदूरी संहिता, 2019 के लागू होने के बाद अधिसूचित किया जाएगा, जो उस तारीख से लागू होंगे जिसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाएगा। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 - औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2020 के मसौदे को हितधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की गई है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत बनाए गए नियमों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के कार्यान्वयन के बाद अधिसूचित किया जाएगा, जो उस तारीख को लागू होंगे जिसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 - सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2021 संबंधी संहिता के मसौदे को हितधारकों से टिप्पणियां मांगने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की गई है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत बनाए गए नियमों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के कार्यान्वयन के बाद अधिसूचित किया जाएगा, जो उस तारीख को लागू होंगे जिसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाएगा। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 - व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं (केंद्रीय) नियम, 2021 के मसौदे को हितधारकों से टिप्पणी मांगने

			के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की गई है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के तहत बनाए गए नियमों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 के कार्यान्वयन के बाद अधिसूचित किया जाएगा, जो उस तारीख को लागू होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
3	खान मंत्रालय	नीतिगत सुधार - खनिज क्षेत्र	वर्तमान में विभिन्न खनिजों के लिए एनएमआई विकसित करने के लिए मंत्रालय में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खान मंत्रालय ने दिनांक 17.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से देश में लौह अयस्क के औसत बिक्री मूल्य की गणना के लिए वैकल्पिक तंत्र का सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया है।
4	विद्युत मंत्रालय	संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण का निजीकरण	निजीकरण की प्रक्रिया में संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए संव्यवहार सलाहकारों की तैनाती की गई है। विद्युत मंत्रालय द्वारा हो रही प्रगति की नियमित निगरानी एवं समीक्षा की जा रही है। वर्तमान में, चंडीगढ़, और दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में बिजली वितरण का निजीकरण पूरा हो चुका है।
5	विद्युत मंत्रालय	टैरिफ नीति में सुधार	कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
6	आयुष मंत्रालय	हर्बल खेती को प्रोत्साहन: 4000 करोड़ रुपये	समाप्त कर दी गई।

अनुलग्नक III

दिनांक 04.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2305 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गारंटी कवरेज और सीजीएसएसडी और एसआरआई फंड के तहत एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीजीएसएसडी के तहत गारंटी कवरेज - मार्च		दिनांक 30.06.2025 तक
	स्वीकृत गारंटियों	गारंटी की राशि	एमएसएमई सहायता
अंडमान और निकोबार	1	3.50	-
आंध्र प्रदेश	30	418.25	3
अरुणाचल प्रदेश	1	36.00	-
असम	9	125.15	1
बिहार	17	48.43	2
चंडीगढ़	7	59.56	3
छत्तीसगढ	11	54.40	1
दमन एवं दीव	2	14.00	-
दिल्ली	21	339.91	77
दादरा एवं नगर हवेली	-	-	1
गोवा	-	-	2
गुजरात	25	280.24	26
हरियाणा	7	116.83	59
हिमाचल प्रदेश	18	150.59	1
जम्मू एवं कश्मीर	26	142.46	-
झारखंड	21	166.79	1
कर्नाटक	55	1120.13	167
केरल	29	436.34	10
मध्य प्रदेश	43	413.47	7
महाराष्ट्र	94	1554.35	152
मिजोरम	2	1.27	-
ओडिशा	42	244.86	9
पुदुचेरी	-	-	2
पंजाब	87	1021.26	2
राजस्थान	28	177.80	8
तमिलनाडु	89	1154.88	27
त्रिपुरा		-	1
तेलंगाना	37	564.32	41
उत्तराखंड	13	150.13	5
उत्तर प्रदेश	63	680.03	16
पश्चिम बंगाल	25	205.66	5
कुल	**803**	**9680.59**	**629**

***